

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 23.05.2017 को संपन्न विभागीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 23.05.2017 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी उपस्थित हुए।

2. HFA, Smart City Mission, AMRUT योजना की राशि भारत सरकार से प्राप्त हुई है। इसकी निकासी करने हेतु शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।
(अनुपालन :- संबंधित प्रभारी पदाधिकारी)
3. अधिकांश नगर निकायों में आम निर्वाचन का आज मतगणना है, उन नगर निकायों में आज के बाद से आदर्श आचार संहिता प्रभावी नहीं रहेगा। निर्देश दिया गया कि सभी जिले के नोडल पदाधिकारी अपने जिले के नगर निकायों के साथ मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना एवं नाली-गली निश्चय योजना की निविदा आदि प्रक्रिया के निष्पादन एवं योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु समन्वय करेंगे।
(अनुपालन :- जिले के सभी नोडल पदाधिकारी)
4. निर्देश दिया गया कि Capacity building plan के आधार पर HFA अंतर्गत SLTC एवं CLTC के लिए PMU का चयन, SBM अंतर्गत PMU का चयन तथा BGCMS अंतर्गत professional के चयन हेतु RFP तैयार करके एक सप्ताह के अंदर प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाय। (अनुपालन :- संबंधित प्रभारी पदाधिकारी)
5. विभाग से संबंधित तीनों निश्चय योजनाओं तथा 14वें वित्त आयोग की निधि के अनुश्रवण हेतु कुल 04 कंसल्टेंट की सेवा (इनके द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यों का उल्लेख करते हुए) उपलब्ध कराने हेतु बिहार विकास मिशन को अनुरोध किया जाय। (अनुपालन :- श्री संजय दयाल, विशेष सचिव)
6. मुख्यमंत्री नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना में इस वर्ष 310.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधानित है। निर्देश दिया गया कि इस योजनांतर्गत नगर निकायों में लंबित देनदारी का आंकलन करके संबंधित नगर निकायों को 10.00 लाख रुपये तक की राशि की विमुक्ति की कार्रवाई की जाय एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने हेतु भी सभी नगर निकायों को पत्र भेजा जाय। (अनुपालन :- प्रशाखा पदाधिकारी-2)
7. हालांकि पटना, दानापुर एवं मुजफ्फरपुर नगर निकाय AMRUT आच्छादित शहर नहीं हैं, इनमें पेयजल निश्चय योजनांतर्गत AMRUT के अधीन मानकों पर वाटर टॉवर के निर्माण हेतु संचिका उपस्थापित की जाय ताकि अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके। (अनुपालन :- श्री सुरेश कुमार तिवारी, अधीक्षण अभि०)
8. JnNURM योजनांतर्गत पूर्व में स्वीकृत पटना शहर में 18 जोन के कार्य में आंशिक रूप से कार्य हुआ था, जिसकी निविदा रद्द हो गयी थी। इस योजनांतर्गत बुडको को पुनर्निविदा करने का निर्देश दिया गया था, जिसके अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही शेष क्षेत्रों के लिए डी०पी०आर० बनाने का निर्देश बुडको एवं BRJP को दिया गया है।
इस संबंध में अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन विभाग में उपलब्ध कराने हेतु बुडको एवं BRJP को पत्र भेजा जाय।
(अनुपालन :- प्रशाखा पदाधिकारी-3)
9. जिन शहरों का Planning Area अधिसूचित हो गया है, उन शहरों का Planning Area Authority के गठन हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र की जाय।
(अनुपालन :- सहायक नगर निवेशक)
10. PMAA एवं RERA में कार्यों के निष्पादन हेतु बेल्ट्रॉन से संविदा पर डाटा इंटी ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराने हेतु बेल्ट्रॉन को पत्र भेजा जाय।
(अनुपालन :- सहायक नगर निवेशक)

11. एंडी०बी० संपोषित गया सिवरेज योजना के लिए Main STP हेतु जमीन की समस्या का निष्पादन हो गया है। निर्देश दिया गया कि इस योजना की स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र की जाय।

(अनुपालन :- प्रशाखा पदाधिकारी-3)

12. श्री हरिशंकर, सहायक नगर निवेशक द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि AMRUT शहरों के मास्टर प्लान निर्माण के लिए Final RFP प्रकाशित हो गया है एवं Pre-bid Query प्राप्त हो गयी है तथा Pre-bid Query का examination अभी नहीं हो पाया है। पिछली बैठक में श्री सर्वानंद द्वारा आश्वासन दिया गया था दिनांक 15.05.2017 तक Pre-bid Query को examine कर लिया जाएगा, जो अभी तक नहीं हो पाया है।

निर्देश दिया गया कि इस सप्ताह में Pre-bid Query को examine करके दिनांक 26.05.2017 तक अनिवार्य रूप से संचिका अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित की जाय। श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव इसका समुचित अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :- सहायक नगर निवेशक)

13. विभाग में ऑनलाईन प्रतिवेदन इंट्री करने हेतु MIS विकसित की जाय, जिसमें निश्चय योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन नगर निकायों द्वारा ही MIS में इंट्री की जाएगी। निर्देश दिया गया कि अभियंत्रण कोषांग MIS विकसित करने हेतु संबंधितों के साथ अग्रेत्तर समन्वय सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :- अभियंत्रण कोषांग)

14. बैठक में श्री अनूप, BGCMS द्वारा बताया गया कि गंगा किनारे अवस्थित शहरों में लगभग 9000 परिवार ऐसे हैं, जिनके पास शौचालय ही हैं एवं शौचालय निर्माण हेतु जमीन भी नहीं है, उनमें community toilet का निर्माण किया जाना आवश्यक है। यह भी प्रतिवेदित किया गया कि गंगा किनारे अवस्थित सभी 20 शहरों में कुल घरों की संख्या 5,13,683 है, जिसमें 84000 परिवारों के पास जमीन उपलब्ध है, लेकिन शौचालय नहीं है। इनमें 45700 परिवारों को शौचालय निर्माण हेतु आवेदन स्वीकृत है एवं 28500 परिवारों को प्रथम किस्त की राशि दी गयी है।

निर्देश दिया गया कि community toilet के निर्माण में राज्यांश की बढ़ोतरी हेतु इस माह में संलेख तैयार करके मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

यह भी निर्देश दिया गया कि जहाँ जमीन उपलब्ध नहीं है, वहाँ community toilet का निर्माण नहीं हो सकता है, उन जगहों पर mobile toilet एवं e-toilet के निर्माण एवं रखरखाव हेतु पूर्ण अध्ययन करके गाईडलाईन तैयार किया जाय। (अनुपालन :- श्रीमती इन्दु कुमारी, वि०का०प०)

यह भी निर्देश दिया गया कि गंगा किनारे अवस्थित सभी शहरों को ODF घोषित करने हेतु कार्यालय आदेश दिनांक 29.03.2017 द्वारा विभागीय पदाधिकारियों को नगर निकायों का प्रभार दिया गया है। संबंधित प्रभारी पदाधिकारी अपने प्रभार के नगर निकायों से सम्पर्क कर समन्वय सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :- संबंधित प्रभारी पदाधिकारी)

15. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जिन नगर निकायों द्वारा ICICI bank में खाता खोला गया है और जिन नगर निकायों के खाता में अभी तक PFMS नहीं हो पाया है, उनमें ICICI bank को शीघ्र PFMS करने हेतु सूचित किया जाय।

(अनुपालन :- श्रीमती इन्दु कुमारी, वि०का०प०)

16. HFA अंतर्गत नगर निकायों के बैंक खातों में शीघ्र PFMS कराने हेतु इलाहाबाद बैंक को सूचित किया जाय।

(अनुपालन :- श्री विनोदानंद झा, उप निदेशक)

17. NULM, HFA, SBM योजना के प्रभारी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि इस माह के अंत तक सभी बैंक खातों का PFMS कराना सुनिश्चित किया जाय। (अनुपालन :- योजना के प्रभारी पदा०)

18. बिहार विकास मिशन की बैठक की कार्यवाही एवं कई पत्र बिहार विकास मिशन से विभाग में प्राप्त हुए हैं। उन पत्रों पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा कई बार शीघ्र Put up करने का निर्देश भी अंकित है, जबकि इन पत्रों/बैठक की कार्यवाही के अनुपालन हेतु संचिका में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित नहीं किया जा रहा है।

प्रभारी पदाधिकारी को कड़ा निर्देश दिया गया कि इस सप्ताह में उक्त संबंधी सभी पत्र संचिका में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अनिवार्य रूप से उपस्थापित किया जाय।

(अनुपालन :- श्रीमती इन्दु कुमारी, वि०का०प०)

19. पटना मास्टर प्लान क्षेत्रांतर्गत ड्रोन के माध्यम से फोटोग्राफी के संबंध में श्री हरिशंकर, सहायक नगर निवेशक द्वारा बताया गया कि PMAA द्वारा इस हेतु निविदा प्रकाशित की गयी है।

निर्देश दिया गया कि इस कार्य हेतु सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा एजेंसी empanelled है एवं उसका दर भी निर्धारित है। इस पैनल से एजेंसी का चयन करके कार्य कराने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय। यदि निविदा प्रकाशित किया जाता है तो सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के rate contract के तहत empanelled सूची से मात्र नहीं किया जा सकता है।

(अनुपालन :- सहायक नगर निवेशक)

20. अवर सचिव द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 178 मामले में counter affidavit दायर करने हेतु पैनल अधिवक्ताओं के पास SOF तैयार करने हेतु लंबित है।

सभी संबंधित प्रशाखा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि कौन-कौन मामले किस-किस पैनल अधिवक्ता के पास SOF तैयार करने हेतु लंबित है, साथ ही कितने मामलों में counter affidavit दायर करने के लिए विभिन्न अधिवक्ताओं एवं पदाधिकारियों के पास लम्बित हैं, इसकी सूची आज ही तैयार करके प्रशाखा-8 को उपलब्ध कराएंगे। श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव पैनल अधिवक्ताओं के साथ बैठक करके इसका निष्पादन सुनिश्चित कराएंगे।

(अनुपालन :- श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव/संबंधित प्रशाखा पदा०)

21. निर्देश दिया गया कि विभाग में 'सहायक' की पदस्थापना करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को प्रत्येक माह स्मार पत्र भेजा जाय।

(अनुपालन :- प्रशाखा पदाधिकारी-1)

22. मुख्यमंत्री शहरी निश्चय योजना एवं सुशासन के कार्यक्रम का प्रतिवेदन विभाग द्वारा बिहार विकास मिशन को साप्ताहिक रूप से भेजा जाना है। निर्देश दिया गया कि नगर निकायों से शौचालय निर्माण योजना, पेयजल निश्चय योजना एवं नाली-गली योजना तथा सुशासन के कार्यक्रम संबंधी प्रतिवेदन ससमय प्राप्त किया जाय। नगर निकायों से प्राप्त प्रतिवेदन को प्रत्येक दिन विभागीय प्रतिवेदन के प्रपत्र में Update किया जाय। संबंधित योजनाओं के नोडल पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :- संबंधित विभागीय पदाधिकारी)

23. उद्योग विभाग से प्राप्त Ease of Doing Business संबंधी पत्र, Labour Cess संबंधी अन्य राज्यों में संचालित प्रक्रिया के संबंध में प्रतिवेदन, पटना मास्टर प्लान, 2031 अंतर्गत प्रस्तावित सड़क की वर्तमान स्थिति, भूमि की उपलब्धता, अवस्थित आधारभूत संरचनाओं संबंधी संचिका उपस्थापित करने का निर्देश पूर्व की बैठकों में दिया जाता रहा है, जिसका अनुपालन अभी तक नहीं हो पाया है।

निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर उक्त सभी संचिका अद्यतन स्थिति के साथ अधोहस्ताक्षरी के अवलोकन हेतु उपस्थापित की जाय।

(अनुपालन :- सहायक नगर निवेशक)


24. सी०ए०जी० रिपोर्ट, लोक लेखा समिति का ऑडिट रिपोर्ट, Compliance report, नगर निकायों का बजट आदि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जाय। प्रशाखा पदाधिकारी-7 द्वारा Compliance report श्री अमितेश, आई०टी० मैनेजर को नियमित रूप से उपलब्ध कराएंगे एवं वे इस हेतु सभी संबंधितों के साथ समन्वय सुनिश्चित करेंगे।

प्रशाख पदाधिकारी-7 को यह भी निर्देश दिया गया कि CAG का Compliance report यदि ससमय नगर निकायों/एजेंसियों से प्राप्त नहीं होता है तो उसे उस जिले के लिए नामित नोडल पदाधिकारी को समन्वय करके प्राप्त करने हेतु उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन :-प्रशाखा पदा०-7 एवं आई०टी० मैनेजर)

25. प्रशाखावार/कोषांगवार संबंधी अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की विवरणी अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। इनमें वैसे मुद्दे, जो अभी तक लंबित हैं, उसकी सूची तैयार कर ली जाय एवं अगली बैठक में विमर्श हेतु उपस्थापित किया जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


25/5/2017


(चैतन्य प्रसाद),

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3511

न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 25.5.17

प्रतिलिपि :- सभी विभागीय पदाधिकारी/जिले के सभी नोडल पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/Team Leader, PMC (NULM)/ SPMG कोषांग/ Team Leader, MIS/अभियंत्रण कोषांग/TCPO/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


25/5/2017

प्रधान सचिव

➤ प्रशाखा-01 :-

1. अधीनस्थ कार्यालय यथा नगरपालिका निदेशालय, बुडको, बुडा, बिहार राज्य जल पर्षद एवं बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड के रिक्तियों को भरने हेतु कदम उठाना।
2. विभाग के सहायकों एवं अन्य सभी कर्मियों के बीच कार्यों का स्पष्ट विभाजन करना।
3. ई० ऑफिस लागू करना।

➤ प्रशाखा-02 :-

1. सभी घरों में पाईप जलापूर्ति की व्यवस्था :-

- राज्य के सभी घरों में पाईप जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराना, सरकार के 7 निश्चयों में से है। तदनुसार इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शहरी क्षेत्र के लिए कार्य योजना तैयार की जाय। जो योजनाएं कार्यान्वित हैं, उन्हें गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए शीघ्र पूर्ण किया जाय।
- सामान्य परिस्थिति में भविष्य में ली जाने वाली योजनाओं में जलमीनार आधारित पेय जलापूर्ति योजना के स्थान पर समीक्षा कर Direct Supply आधारित योजनाएं लेने पर विचार किया जाय। छोटे-छोटे Zones का गठन किया जा सकता है।
- शहरी स्थानीय निकायों/बिहार राज्य जल पर्षद की क्षमता में वृद्धि की जाय ताकि पेय जलापूर्ति योजनाओं का उचित संधारण सुनिश्चित हो सके।
- शहरी स्थानीय निकाय, सतत् संधारण के दृष्टिकोण से निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप उपभोक्ता शुल्क वसूल करने की कार्रवाई करें।
- इस महत्वपूर्ण कार्य हेतु राशि की बड़ी आवश्यकता के मद्देनजर विभिन्न स्रोतों से निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किया जाय।
- नगर निकायों के सरकार के 7 निश्चय की प्राथमिकता के अनुरूप योजना चयनित करने के लिए उचित मार्गदर्शन दिया जाए।
- शहरी स्थानीय निकायों की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने हेतु एक प्रोत्साहन योजना बनायी जाय, जिसमें सरकार के 7 निश्चय की प्राथमिकता के अनुरूप योजना लेने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को प्रोत्साहित किया जाए। इसमें अंतर वार्ड महत्व की योजनाओं में राज्य सरकार का प्रोत्साहन एक वार्ड तक सीमित योजनाओं की तुलना में अधिक रखी जाय।
- बिहार राज्य जल पर्षद का ढाँचा, क्षेत्र स्तर तक विस्तारित किया जाय ताकि जलापूर्ति से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन एवं संधारण, नगर निकायों से समन्वय करके प्रभावी तरीके से किया जा सके।
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बनायी गयी जलापूर्ति योजनाओं के उचित संधारण विभाग से ही करने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाय।
- स्वच्छता अनुदान घटक का कड़ा अनुश्रवण किया जाय ताकि सभी शहरों में डोर-टू-डोर कचरा उठाव हो सके। कचरे के भंडारण हेतु भूमि की व्यवस्था हो सके तथा कचरे की प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो सके।
- पटना में बस स्टैण्ड का निर्माण शीघ्र आरंभ किया जाना चाहिए। इस हेतु HUDCO से ऋण के मामले में राज्य सरकार की गारंटी संबंधी विषय पर वित्त विभाग से शीघ्र समन्वय किया जाय। HUDCO से भिन्न, यदि कोई अन्य संस्था कम दर पर ऋण देती हो तो उसकी भी संभावना तलाशी जाय।

2. स्ट्रीट लाईट :-

- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्ट्रीट लाईट को बढ़ावा दिया जाय एवं संधारण की प्रभावी व्यवस्था की जाय। चरणबद्ध तरीके से प्रधान मुख्य सड़कों एवं मुख्य सड़कों को पहले आच्छादित किया जाय। पथ निर्माण विभाग एवं अन्य विभाग, जिनके द्वारा पथों का निर्माण शहरी क्षेत्रों में किया जाता है, वे आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाईट का प्रावधान करें। इस पर संबंधित विभागों से समन्वय किया जाय।

3. पार्क एवं हरियाली विस्तार :-

- नगर क्षेत्र में पड़ने वाले पार्कों के संधारण हेतु पर्यावरण एवं वन विभाग को सौंपने की कार्रवाई की जाय एवं राशि का प्रावधान किया जाय। इसके लिए आवश्यकतानुसार निदेश निर्गत किये जाए।
- अन्य शहरों में पार्कों के संधारण हेतु पार्क विकास एवं संधारण नीति बनाकर परिचालित की जाय।
- पार्क/हरियाली क्षेत्र के विस्तार हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय।

4. सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 :-

- (i) बिहार के प्रत्येक शहर में मुहल्लों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक घर पक्की सड़क से जुड़े, इसके लिए सभी मुहल्लों में गलियों एवं नालियों का निर्माण किया जाएगा।
- (ii) राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।
- (iii) सभी शहरी घरों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छता सहायता अनुदान कार्यक्रम लागू किया जाएगा। सभी शहरों में कचड़ा प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था लागू की जाएगी।
- (iv) सभी नगरों में पार्क एवं जन-सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।

➤ प्रशाखा-03 :-

1. केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य को मिलने वाले संसाधन समय पर मिले, इसके लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय के साथ समुचित समन्वय सुनिश्चित करना।

2. जल निसरण :-

- इस बात पर चिन्ता व्यक्त की गयी कि विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा बनाये जाने वाले ड्रेनेज का प्रभावी उपयोग नहीं हो पाता है। अतः समस्या को दूर करने के लिए शहरों का ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया जाय और उसीके तहत सभी कार्यान्वयन एजेंसी, योजनाओं का चयन एवं कार्यान्वयन करें।

3. शहरी परिवहन :-

- उत्तर बिहार एवं पश्चिम बिहार के क्षेत्रों से आने-जाने वाली बसों के लिए हाउसिंग बोर्ड, दीघा कॉलोनी में भी एक बस स्टैण्ड विकसित करने पर विचार किया जाय।
- नगर निगम शहरों का City Mobility Plan तैयार किया जाय।
- शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले पथांसों के लिए Urban Road Policy तैयार करके संबंधित विभागों से विचार-विमर्श किया जाय।

4. सबके लिए शौचालय :-

- हर घर में शौचालय की सुविधा भी सरकार के 7 निश्चयों में से है। तदनुसार इसके निर्धारित अवधि में प्राप्ति हेतु ठोस कार्य योजना बनाई जाए। कार्यान्वयन में खुलापन, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित हो।
- शहरी क्षेत्र के वैसे परिवार जो वर्तमान सूची में छूटे हुए हैं उनको सम्मिलित करने की कार्रवाई की जाए।
- सामुदायिक शौचालयों का रखरखाव एक चुनौती होता है। इसे ध्यान में रखते हुए यथासंभव सामुदायिक शौचालयों की स्थापना तभी की जाए जब इसके संधारण की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो।
- वैसे घर, जहाँ शौचालय बनाने के लिए जगह उपलब्ध नहीं हो, उनके लिए नजदीक में समूह में शौचालय निर्माण कर, पारिवारिक आधार पर शौचालय आवंटित किया जाय।
- सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव में खुलापन एवं पारदर्शिता बरतते हुए, शहरी स्थानीय निकाय स्वयंसेवी संस्थाओं को संबद्ध करती है। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शौचालयों का संधारण उचित तरीके से हो रहा है। सुलभ इंटरनेशनल जैसी ख्याति प्राप्त संस्थाओं को Nomination के आधार पर सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण एवं रखरखाव कार्य देने के बिन्दु पर गहन विचार-विमर्श करके प्रस्ताव गठित किया जाय।
- वैसे आबादी, जो अनाधिकृत रूप से बाँध आदि पर रह रहे हों, उनके लिए भी जमीन उपलब्ध कराते हुए, मल्टीस्टोरी भवन का निर्माण कराने की संभावना तलाशी जाय ताकि उनके लिए आवास एवं शौचालय की व्यवस्था एकसाथ हो सके।

5. सिवरेज की व्यवस्था :-

- भारत सरकार के स्तर पर लंबित मुद्दों के त्वरित निष्पादन के लिए प्रभावी समन्वय एवं पत्राचार सुनिश्चित किया जाय।
- कार्यान्वित योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लायी जाय। और उन्हें पूर्ण कराया जाए।
- नमामि गंगे योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक योजनाएं प्रेषित करके स्वीकृति प्राप्त की जाय।
- गंगा नदी के किनारे अवस्थित वे प्रमुख शहर, जिनके वित्त पोषण की व्यवस्था नहीं हो पायी है, वहाँ आवश्यकतानुसार राज्य योजना से सिवरेज के कार्य लिये जाएं यथा मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, फतुहा, बड़हिया, लखीसराय, बिहारशरीफ आदि। साथ ही भारत सरकार से भी लगातार मांग की जाती रहे।
- गंगा की सहायक नदियों पर अवस्थित शहरों पर भी STP एवं सिवरेज नेटवर्किंग के कार्य को समावेशित करने के बिन्दु पर अग्रोत्तर कार्रवाई की जाय।
- पटना शहर की सिवरेज परियोजना का गुणवत्तापूर्ण ससमय कार्यान्वयन हो, इसके लिए अत्यधिक विशेष अनुश्रवण की व्यवस्था की जाय।

6. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन :-

- पटना में कार्यान्वित हो रहे Waste to Energy प्रोजेक्ट का सघन अनुश्रवण करके तेजी से कार्यान्वयन कराया जाय। छोटे शहरों में Waste to Compost पर विचार किया जाए।

7. सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 :-

- (i) चरणबद्ध तरीके से सभी शहरों में सीवरेज एवं ड्रेनेज की योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाएगा।
- (ii) राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
- (iii) स्ट्रीट वेण्डरों की आजीविका की सुरक्षा हेतु शहरों में सुव्यवस्थित वेण्डिंग जोन स्थापित किए जाएंगे।

➤ AMRUT Mission से संबंधित कार्य :-

- (i) AMRUT योजना के अंतर्गत जो योजनाएं ली जा रही हैं एवं SAAP में जो योजनाएं शामिल हैं, उसका डीपीआर बनाकर, सक्षम स्तर पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय।

➤ प्रशाखा-04 :-

1. सबके लिए आवास (शहरी) :-

- शहरी क्षेत्रों के आवास विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए बहुमंजिले मकान बनाना उचित विकल्प है। तदनुसार भूमि की उपलब्धता के बिन्दु पर नीति/दिशानिर्देश बनाने के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक आयोजित करके निर्णय लेना।
- Affordable Housing Policy, Rental Housing Policy and Model Tenancy Act पर अग्रोत्तर कार्रवाई।

2. आवास योजना का MIS लागू करना।

3. भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित Technology Development Centre की स्थापना का प्रस्ताव भेजना।

4. सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 :-

- (i) स्ट्रीट वेण्डरों की आजीविका की सुरक्षा हेतु शहरों में सुव्यवस्थित वेण्डिंग जोन स्थापित किए जाएंगे।

● NULM से संबंधित कार्य :-

शहरी क्षेत्रों के सभी गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह के नेटवर्क में चरणबद्ध तरीके से समयसीमा के अंतर्गत आच्छादित किया जाय। गरीब महिलाओं के समूहों को Area Level Organization एवं City Level Federation के रूप में संगठित कराया जाय।

➤ प्रशाखा-05 :-

1. नगर निकायों के होल्डिंग टैक्स को पूरे राज्य में प्रभावी तरीके से लागू करना।

2. नगर निकायों का GIS Based Survey एवं Property Tax Survey के कार्य को कड़ा अनुश्रवण करके समय पर पूर्ण कराना।

3. नगर निकायों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए सभी घटकों यथा मोबाईल टावर, ट्रेड लाईसेंस आदि सभी पर अलग-अलग संचिका खोलकर, मार्गनिर्देश जारी करना एवं अनुश्रवण करना।
4. प्रशाखा-5, नगरपालिका प्रशासन, निदेशालय के तौर पर तदर्थ रूप से कार्य करें, इसकी व्यवस्था करना।

5. नगर निकायों का गठन/पुनर्गठन :-

- नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर शहरीकरण के दृष्टिकोण से उचित हो, वैसे नये नगर पंचायतों का गठन का प्रस्ताव लाया जाए।
- बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में संशोधन प्रस्तावित किया जाय ताकि सभी गठित नगर निकायों के चुनाव एकसाथ होने की व्यवस्था का प्रावधान हो सके।

6. नगरीय प्रशासन :-

- "मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजना" शहरी स्थानीय निकायों में स्वस्थ प्रतियोगिता पैदा करेगी। इसे तत्काल लागू किया जाय।
- शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार की अत्यधिक संभावना है। तदनुसार कमीशन आधारित मानव बल की व्यवस्था की जा सकती है। Online Tax Collection को प्रभावी बनाया जाय। सभी प्रकार के Fee/कर की प्रभावकारी वसूली सुनिश्चित की जाय।
- नगर निकायों के 'लोक वित्त' प्रबंधन व्यवस्था को प्रभावकारी बनाने हेतु किये जा रहे प्रयासों यथा Double Entry Accounting System (DEAS), Online Tax Collection, E-Tendering, e-auction, Internal Audit आदि सभी कार्यों को सभी नगर निकायों में बढ़ावा दिया जाय।
- शहरी स्थानीय निकायों में मानव बल की कमी के लिए नियमित नियुक्ति की जाय। संविदा/एच०आर० एजेंसी आधारित नियुक्ति की बजाए सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा, तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए लेने हेतु नीति बनायी जाय।
- शहरी स्थानीय निकायों के मानव बल की आवश्यकता का पुनर्गठन कराया जाय।
- पटना नगर निगम का पुनर्गठन, वर्तमान दायित्व के मद्देनजर किया जाय।
- विकास कार्यों को गति देने के लिए "शहरी अभियंत्रण संगठन" स्थापित किया जाय। इसके लिए BUIDCO एवं जल परिषद के पुनर्गठन पर विचार किया जाए।
- Development Management Institute, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गयी संस्था है, उससे समन्वय करके, शहरी प्रशासन के मुद्दों पर कार्यवाई की जाय।
- अतिक्रमण हटाने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया जाय।

7. सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 :-

- (i) शहरी प्रशासनिक व्यवस्था को संवेदनशील, जनोन्मुखी, जिम्मेदार एवं पारदर्शी बनाने के दृष्टिकोण से शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त एवं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के प्रयास को गति प्रदान की जाएगी।

➤ प्रशाखा-6 :-

1. विधानमंडलीय मामलों में कड़ा अनुश्रवण करके, प्रतिदिन के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित कराना।

➤ प्रशाखा-07 :-

1. लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी०सी० विपत्रों का प्रभावी निष्पादन।
2. 14वें वित्त आयोग की Performance Grant की पात्रता हेतु नगर निकायों की चार्टर्ड एकाउंटेंट के द्वारा अंकेक्षण की व्यवस्था SPUR के माध्यम से कराना।
3. Double Entry Accounting System को Roll Out कराना।

➤ प्रशाखा-8 :-

1. लंबित CWJC/MJC का प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप प्रभावी निष्पादन जारी रखना।

➤ प्रशाखा-9 :-

1. RTI के मामलों पर सामयिक निष्पादन करके, प्रभारी पदाधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा एवं प्रधान सचिव के अवलोकन हेतु मासिक प्रतिवेदन तैयार करना।

➤ **प्रशाखा-10 :-**

1. बिहार राज्य आवास बोर्ड की संसाधनों में वृद्धि करना।
2. दीघा पुनर्वास योजना को लागू करना।
- आरक्षण नीति में संशोधन, e-auction, Online Property Management एवं EPC Mode पर अधिक से अधिक फ्लैट बनाने का प्रयास किया जाय।
- बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा अपनी सम्पत्तियों का प्रभावी प्रबंधन किया जाय। लीज होल्ड से फ्री-होल्ड करने संबंधी सरकार के निर्णय को शीघ्र कार्यरूप दिया जाय। इसके लिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक कर आवश्यक अंतर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित किया जाय।
- बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा जो आवास बनाये जा रहे हैं, उन्हें माननीय MLA/MLC के लिए आवंटन करने पर विचार किया जाय।
- बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा बनाये गये मकानों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। दीघा में स्थित आवास बोर्ड की जमीन पर चहारदीवारी का निर्माण कराया जाय।

➤ **प्रशाखा-11 :-**

1. **शहरों का सुनियोजित विकास :-**

- मुख्यमंत्री नगर विकास योजना को शहरीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए Re-design किया जाय एवं इसे सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत ली जाने वाली योजनाओं में प्राथमिकता दी जाय।
- सुनियोजित शहरीकरण हेतु Regulatory Frame Work बनाया जाय। मुख्य सचिव इसे अपने स्तर पर देखेंगे।
- नक्सा पारित करने के काम में तेजी लायी जाय। इसमें किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं हो। जनसाधारण को कोई कठिनाई नहीं हो, ऐसी व्यवस्था की जाय। इस हेतु विभाग द्वारा विकसित की जा रही ऑनलाईन नक्सा प्रबंधन व्यवस्था को शीघ्र लागू किया जाय।
- "पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑथोरिटी" को शीघ्र कार्यरत किया जाय।
- पटना मास्टर प्लान, 2031 को विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए उपस्थापित किया जाय।
- 15 प्रमुख शहरों का "आयोजना क्षेत्र" घोषणा, आयोजना प्राधिकार का गठन एवं मास्टर प्लान का कार्य प्राथमिकता पर पूर्ण किया जाय।
- शहरों के आस-पास नई टाउनशिप विकसित हो, ऐसा प्रयास किया जाय।
- "नया पाटलिपुत्र" बसाने हेतु अग्रेत्तर योजना बनायी जाय।
- TCPO में सेवानिवृत्त कर्मियों की संभावित उपलब्धता नहीं होने के मद्देनजर खुले बाजार से योग्य एवं अनुभवी Professionals लिए जा सकते हैं।
- पटना राजधानी क्षेत्र में सभी विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों के मद्देनजर अंतर्विभागीय समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "Patna Capital Region Management Committee" गठित की जाय।
- पटना मेट्रो रेल परियोजना हेतु विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त की जाय। अग्रेत्तर कार्रवाई के लिए भारत सरकार को भेजा जाय।

2. **सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 :-**

- (i) शहरों के सुव्यवस्थित विकास के उद्देश्य से सभी जिला-मुख्यालय शहरों का दीर्घकालीन मास्टर प्लान तैयार कर लागू किया जाएगा।

3. TCPO कार्यालय का सुदृढीकरण।

➤ **SPMG कोषांग से संबंधित कार्य :-**

- (i) NGRBA के अंतर्गत स्वीकृत कार्यरत योजनाओं को गति देना।
- (ii) NMCG के साथ प्रतिदिन समन्वय सुनिश्चित करना।